

पत्रा... प्रशासन...  
दे... पत्रा... में...  
कान... हेतु 25.04.2022:— आज यह पत्रावली प्रार्थी बकील के निवेदन

पर पेशी में ली गई। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का अप्रार्थी के साथ राजीनाम हो गया है। इसलिये प्रार्थी प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहता। प्रार्थी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थी की पहचान प्रार्थी अधिवक्ता श्री रामगानु द्वारा की गई। प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र सतर पर खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थना-पत्र जयलोकन किया गया वाद जयलोकन प्रार्थना-पत्र मौजूदा सूरत में ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद बीज तकमील दाखिल दफतर हो।



Web Copy - Not Official



★  
महायुक्त कलक्टर  
खण्डाधिकारी